प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका(सिविल)क्रमांक 5997/2007</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> मेसर्स गगन फ्यूल्स

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u> भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य

<u>और</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रिट याचिका(सिविल)क्रमांक 3396/2009</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> गगन फ्यूल्स

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u> भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य

<u>9 सितंबर, 2011 को आदेशों को उद्घोषित किए जाने हेतु को सूचीबद्ध करे</u>

सही/-

सतीश कुमार अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

-

एकल पीठ: सतीश कुमार अग्निहोत्री न्यायाधीष

-

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 5997 वर्ष 2007

याचिकाकर्ता मेसर्स गगन फ्यूल्स

बनाम

उत्तरवादीगण भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर रिट याचिका)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

-उपस्थित:- याचिकाकर्ता की अधिवक्ता सुश्री शर्मिला सिंघाई।

उत्तरवादी क्रमांक 1, 2 और 4 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय के. अग्रवाल और अधिवक्ता श्री सुदीप अग्रवाल उपस्थित हुए।

श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता, राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 5 की ओर से।

और

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3396 वर्ष 2009

याचिकाकर्ता गगन फ्यूल्स

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u> भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका)

एकल पीठ : सतीश कुमार अग्निहोत्री न्यायाधीश

<u>उपस्थित</u>:- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री अमित वर्मा।

उत्तरवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री संजय के. अग्रवाल और अधिवक्ता श्री सुदीप अग्रवाल उपस्थित थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9 सितंबर, 2011 को आदेश पारित किया गया)

1.चूंकि रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 5997 वर्ष 2007 और 3396 वर्ष 2009 में कानून और तथ्यों का एक ही प्रश्न शामिल है, इसलिए इन पर इस सामान्य आदेश द्वारा विचार किया जा रहा है और निर्णय लिया जा रहा है।

2. रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 5997/2007 में याचिकाकर्ता ने दिनांक 30-8-2007 के आदेश (अनुलग्नक - पी/1) की वैधता और औचित्य को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का डीलरशिप समझौता समाप्त कर दिया गया है, और आगे उत्तरवादी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (संक्षेप में " उत्तरवादी निगम") को निर्देश देने की मांग की है, की वह याचिकाकर्ता की एजेंसी को तत्काल बहाल

करे और उस अवधि के लिए उचित मुआवजा दे जिसके दौरान याचिकाकर्ता अपना व्यवसाय नहीं चला सका।

3. रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3396/2009 में याचिकाकर्ता उत्तरवादी निगम को सभी संपत्तियों को वापस करने का निर्देश देने की मांग करता है, साथ ही अधिग्रहीत ईंधन के स्टॉक की लागत भी, जैसा कि अभ्यावेदन में दावा किया गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता की राशि को अवैध रूप से रोके रखने के लिए दंडात्मक दर पर उचित ब्याज का भुगतान किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4.याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 5997/2007 में दोनों रिट याचिकाओं के निपटारे के लिए प्रस्तुत किए गए संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता बिलासपुर में 'गगन फ्यूल्स' के नाम से व्यवसाय करने वाली अधिकृत खुदरा दुकान है। याचिकाकर्ता को उत्तरवादी निगम द्वारा मोटर स्पिरिट और/या हाई स्पीड डीजल, मोटर तेल, ग्रीस और अन्य मोटर सहायक उपकरण बेचने के लिए अधिकृत किया गया था। याचिकाकर्ता की खुदरा दुकान (संक्षेप में "आरओ") अपनी स्थापना की तिथि अर्थात 1998 से ही सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से कार्यरत थी और विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (संक्षेप में "एमडीजी") में निर्धारित मानदंडों का पालन कर रही थी। यहां तक कि याचिकाकर्ता फर्म को उत्तरवादी निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 1998-99 में बिलासपुर बिक्री क्षेत्र में पेट्रोल, डीजल और

तेल की बिक्री के लिए 'उत्कृष्टता पुरस्कार + सर्वश्रेष्ठ युवा डीलर' पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

5.याचिकाकर्ता के अनुसार, वर्ष 1999-2000 में याचिकाकर्ता और उत्तरवादी निगम के बीच स्नेहक पदार्थों की बिक्री और आपूर्ति को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ। दिनांक 23-1-2002 (अनुलग्नक 4) को उत्तरवादी निगम ने स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद, दोनों पक्षों के बीच कई विवाद उत्पन्न हुए और उत्तरवादी निगम ने याचिकाकर्ता के खाते का कुप्रबंधन भी किया। दिनांक 8-4-2002 को फिर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका याचिकाकर्ता ने जवाब प्रस्तुत किया। हालांकि, तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किए बिना, खुदरा दुकान के समान की बिक्री और आपूर्ति को रद्द कर दिया गया।याचिकाकर्ता के आरओ को उत्पादों की आपूर्ति 15 दिनों की अवधि के लिए दिनांक 1-5-2002 के आदेश (अनुलग्नक - पी/6) द्वारा निलंबित कर दी गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6.उक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में रिट याचिका संख्या 959/2002 दायर की। याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त रिट याचिका में याचिकाकर्ता के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया था। हालांकि, व्यावसायिक गतिविधियों को देखते हुए, याचिकाकर्ता ने बाद में उक्त रिट याचिका वापस ले ली और

उत्तरवादी निगम ने भी दिनांक 28-6-2002 के आदेश (अनुलग्नक -पी 7) द्वारा निलंबन आदेश रद्द कर दिया।

7.वर्ष 2005 में भारी बारिश के कारण पेट्रोल और डीजल के टैंकों में पानी का रिसाव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप पानी और कीचड़ टैंकों में प्रवेश कर गया। याचिकाकर्ता ने पेट्रोल और डीजल में किसी भी प्रकार की मिलावट से बचने के लिए इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु दिनांक 30-6-2005 के पत्र (अनुलग्नक पी /8) द्वारा उत्तरवादी निगम को तुरंत सूचित किया, लेकिन उत्तरवादी निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने आवश्यक कार्रवाई के लिए कई पत्र भेजे। हालांकि, अचानक दिनांक 9-2-2007 को दोपहर 12:00 बजे से सुबह 3:30 बजे के बीच उत्तरवादी निगम की मोबाइल चलित लैब टीम ने याचिकाकर्ता के आरओ का निरीक्षण किया और याचिकाकर्ता के आरओ से नमूने लिए। उस समय भी, याचिकाकर्ता ने मोबाइल चलित लैब टीम को टैंक में पानी के रिसाव के बारे में सूचित किया और उनसे टैंकों की सफाई के बाद नमूने लेने का अनुरोध किया। उपरोक्त तथ्य के बावजूद, मोबाइल लैब टीम के प्रभारी ने नमूने एकत्र किए और उन्हें निर्धारित समय के भीतर परीक्षण के लिए भेज दिया गया। परीक्षण में पाया गया कि एचएसडी मार्कर टेस्ट में विफल रहा। निरीक्षण रिपोर्ट (अनुलग्नक - पी 13)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8.याचिकाकर्ता का तर्क है कि मोबाइल चलित लैब टीम ने याचिकाकर्ता के आरओ को उत्पादों की बिक्री और आपूर्ति निलंबित करने की सलाह दी है, जबकि मोबाइल लैब टीम ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है।दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी उत्पादों की बिक्री और आपूर्ति को निलंबित करने के लिए सलाह देने का अधिकार।

9.दिनांक 9-2-2007 की निरीक्षण रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (सिविल) संख्या 1519/2007 दायर की। उक्त याचिका के लंबित रहने के दौरान उत्तरवादी निगम ने याचिकाकर्ता की डीलरशिप समाप्त कर दी। तदनुसार, उक्त याचिका को इस न्यायालय द्वारा निरर्थक होने के आधार पर खारिज कर दिया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने डीलरशिप समझौते की समाप्ति (अनुलग्नक - पी 1) को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका (सिविल) संख्या 5997/2007 दायर की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10.याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुई विद्वान अधिवक्ता सुश्री सिंघाई ने कहा कि उत्तरवादी संख्या 4 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पूरी तरह से मनमाना और निराधार है क्योंकि बिना सुनवाई का उचित अवसर दिए इसे पारित किया गया है। उत्तरवादी निगम याचिकाकर्ता को लगातार परेशान कर रहा है और अंततः उन्होंने करार समाप्ति का आक्षेपित आदेश पारित कर दिया है। वास्तव में, डीलर को

परीक्षण के दौरान उपस्थित रहने के लिए नोटिस दिया जाना चाहिए था और डीलर को नोटिस दिए जाने के लिए मान्य साक्ष्य भी होने चाहिए थे। हालांकि, इस मामले में, उत्तरवादी निगम परीक्षण के दौरान आरओ डीलर की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोई नोटिस देने में पूरी तरह विफल रहा।

11.सुश्री सिंघाई ने आगे कहा कि प्रयोगशाला टीम द्वारा किए गए मार्कर परीक्षण के परिणाम और नागपुर के बोरखेड़ी स्थित परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा दी गई रिपोर्ट में भी विसंगति है। मार्कर परीक्षण की रिपोर्ट में परिणाम 'हल्का गुलाबी' आया है, जबकि बोरखेड़ी, नागपुर द्वारा दी गई हाई स्पीड डीजल की परीक्षण रिपोर्ट में मार्कर परीक्षण का परिणाम 'गुलाबी' बताया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि दोनों परीक्षण रिपोर्टों को याचिकाकर्ता के आरओ की डीलरशिप समाप्त करने का आधार नहीं माना जा सकता।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. सुश्री सिंघाई आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के बाद अपने जवाब में पुनः नमूना लेने का अनुरोध किया था और उसके बाद दिनांक 17-6-2007 और 6-9-2007 के पत्रों के माध्यम से भी अनुरोध किया था, लेकिन उत्तरवादी निगम ने याचिकाकर्ता के आरओ से पुनः परीक्षण के लिए नमूने नहीं लिए। याचिकाकर्ता को पूरी उम्मीद है कि यदि याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध नमूना परीक्षण के लिए भेजा जाता, तो वह मार्कर

परीक्षण में सफल रहता, लेकिन उत्तरवादी निगम ने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर नमूनों के पुनः परीक्षण के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

13. सुश्री सिंघाई ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि एमडीजी के प्रावधानों का सही परिप्रेक्ष्य में पालन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता को पहली बार नमूने लिए जाने की तिथि से तीन महीने के भीतर दूसरा अवसर दिया जाना चाहिए था। चूंकि ऐसा नहीं किया गया, इसलिए उत्तरवादी निगम द्वारा पारित बर्खास्तगी आदेश को एमडीजी के अनुरूप नहीं माना जा सकता। उत्तरवादी अधिकारियों ने याचिकाकर्ता का लाइसेंस दुर्भावनापूर्ण इरादे से और सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना तथा प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों का पालन किए बिना समाप्त कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. दूसरी ओर, उत्तरवादी क्रमांक 1, 2 और 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय के. अग्रवाल और उनके साथ उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुदीप अग्रवाल ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिकृत प्रयोगशाला ने एचएसडी नमूनों के परीक्षण पर पाया कि याचिकाकर्ता के आरओ द्वारा दर्शाया गया उत्पाद एचएसडी (बीएस **II**) सल्फर की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहा और मार्कर परीक्षण में भी असफल रहा। मार्कर परीक्षण में आरओ नमूनों की विफलता न केवल दिनांक 9-2-2007 को मोबाइल प्रयोगशाला द्वारा देखी गई, बल्कि दिनांक 14-2-2007 को अधिकृत स्थायी प्रयोगशाला द्वारा भी देखी गई, और इस प्रकार,

याचिकाकर्ता को समझौते के उल्लंघन का दोषी पाया गया, क्योंकि याचिकाकर्ता के आरओ से लिए गए एचएसडी नमूने का मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में परीक्षण में पुष्टि नहीं हुई। याचिकाकर्ता मिलावट सहित समझौते की शर्तों और नियमों के उल्लंघन का दोषी है।

15. श्री अग्रवाल ने आगे बताया कि नमूने आरओ से लिए गए थे और उन्हें आगे नागपुर के बोरखेड़ी स्थित स्थायी प्रयोगशाला में भेजा गया था। उक्त प्रयोगशाला ने दिनांक 14-2-2007 को परीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट दी थी। उक्त रिपोर्ट में बताया गया है कि एचएसडी नमूना सल्फर और मार्कर परीक्षण के संबंध में बीआईएस विनिर्देशों को पूरा करने में विफल रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. श्री अग्रवाल आगे यह निवेदन किया कि याचिकाकर्ता समझौते की शर्तों का पालन करने में लगातार चूक कर रहा है और एचएसडी नमूना मिलावटी पाया गया था। मामले के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करार को रद्द करने का आदेश पारित किया गया है। याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में पुनः परीक्षण या पुनः नमूना लेने का कोई अनुरोध नहीं किया था और लगभग तीन महीने बाद पुनः नमूना लेने/पुनः परीक्षण के संबंध में बिना कोई कारण बताए बयान दिया गया, जबकि नमूने याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में लिए गए थे और तेल उद्योग की मोबाइल चलित प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण किए गए थे

और मार्कर परीक्षण में विफल पाए गए थे। इसके बाद नमूनों को आगे की जांच के लिए स्थायी प्रयोगशाला में भेजा गया, जहां भेजे गए नमूने भी विफल रहे। इसलिए, याचिकाकर्ता किसी भी अनुतोष का हकदार नहीं है और याचिका खारिज की जानी चाहिए।

17. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है, अभिवचनो और उनसे संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया है।

18. रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 5997/2007 के लंबित रहने के दौरान उत्तरवादी निगम ने श्रीमती असुंता कुजूर को डीलर के रूप में नियुक्त किया। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 5-10-2010 को श्रीमती असुंता कुजूर को उत्तरवादी संख्या 6 के रूप में पक्षकार बनाने के लिए एक आवेदन (आई.ए संख्या 6) दायर किया गया। उक्त आवेदन को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26-10-2010 को स्वीकार कर लिया गया और नए पक्षकार बनाये गए उत्तरवादी संख्या 6 को नोटिस जारी किया गया।उक्त उत्तरवादी को दिनांक 2-4-2011 को नोटिस दस्ती विधि द्वारा विधिवत तामील कर दी गई थी, जो याचिकाकर्ता द्वारा दायर दिनांक 6-4-2011 के प्रावरण ज्ञापन से स्पष्ट है। हालांकि, उत्तरवादी संख्या 6 ने मामले में उपस्थित न होने का विकल्प चुना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. यह स्वीकृत है कि नमूने एकत्र करने के बाद, दिनांक 9-2-2007 को डीलर के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मोबाइल प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया था। दिनांक 9-2-2007 की रिपोर्ट में पाया गया कि मार्कर परीक्षण सकारात्मक (हल्का गुलाबी) था। परीक्षण परिणाम स्पष्ट और चमकीला था और दूसरे कॉलम में इसे नकारात्मक लिखा गया था।

20. दिनांक 9-2-2007 की रिपोर्ट का सुसंगत भाग (टाइप की गई प्रति के अनुसार) इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"रिटेल आउटलेट के एचएसडी सैंपल का मार्कर टेस्ट और काइनेमैटिक विस्कोसिटी में सकारात्मक परिणाम आया है, हालांकि आर ओ सैंपल मामूली रूप से पास हुआ है। यह परिणाम टैंक के 10 मिलीग्राम सैंपल के (के वी) परिणाम से काफी भिन्न है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। उपरोक्त को देखते हुए, डीलर को अगली सूचना तक सभी उत्पादों की बिक्री निलंबित करने की सलाह दी गई है।"

(1) उपरोक्त के मद्देनजर, एम.डी.जी. के निर्देशानुसार, एमएस/स्पीड/एचएसडी/लुब्रिकेंट के सभी नमूनों को आर.डी. से प्रक्रिया के अनुसार लिया गया, संबंधित उत्पाद से अच्छी तरह से धोया गया और डीलर/डीलर

प्रतिनिधि की उपस्थिति में सीलबंद किया गया। नमूनों का वितरण निम्नानुसार किया गया है।

(i) नमूने का एक सेट अर्थात 2**x**1 लीटर एमएस 2**x**1 लीटर स्पीड, **x** 11 लीटर एचएसडी और 1**x**0.750 लीटर ट्यूब डीलर को उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सौंप दिया जाता है।

(ii) नमूने का एक सेट, अर्थात 2**x**1 लीटर एमएस, 2**x**1 लीटर स्पीड, 1**x**1 लीटर एचएसडी, और 1**x**0.750 लीटर ट्यूब, परीक्षण के लिए स्टेशनरी लैब में भेजा जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iii) नमूनों का एक सेट, अर्थात 2**x**1 लीटर एमएस, 2**x**1 लीटर स्पीड, 1**x**1 एचएसडी और 1**x**0.750 लीटर ट्यूब, संबंधित बीपीसी ऑयल कंपनी को उनके प्रतिधारण के लिए सौंपे जा रहे हैं।

(2) सील के नमूने निम्नलिखित हैं :-

एमएस नमूना 596275**x**(3)/596209**x**(3) (अंदर/बाहर)

गति नमूना 596282**x**(3)/596276**x**(3) (अंदर/बाहर)

लुब एमएके 2**T** 596239**x**(3)/596244**x**(3) (अंदर/बाहर)

एचएसडी 5 नमूना 596298**x**(3)/596268**x**(3) (अंदर/बाहर)

(3) मोबाइल लैब में परीक्षण किए गए एचएसडी टैंक के लंबे नमूने को टी/एल **No.CG** सीजी 10 ए3181 के नमूने को अंतिम आपूर्ति के अनुसार चालान संख्या 14500 18420 दिनांक 07.02.2007 के माध्यम से पुनः सील किया गया और प्रयोगशाला में भेजने के लिए एकत्र किया गया। पुनः सील की गई सील संख्या 596209**x**(2) है।

(4) एमएस/स्पीड के टैंक लॉरी नमूने की अंतिम आपूर्ति भी प्रयोगशाला भेजने के लिए एकत्र की गई। विवरण चालान संख्या/दिनांक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2 लीटर एम.एस. टैंकर लॉरी संख्या **CG**10**A** 3181 सील संख्या 635909**x**(2) 1450015420/07/02/07

2 लीटर स्पीड टैंक लॉरी संख्या **CG**10**A** 1167 सील संख्या 635911**x**(2) 141010128673/05.02.07

(5) लुब एमएके 2टी नमूनों की सील संख्या 596239**x**(3)/596244**x**(3) और 565642/02/08/2006 है। बैच संख्या है

(6) टैंकों का स्टॉक और डीयूएस की मीटर रीडिंग निम्नानुसार दी गई है:-

<u>उत्पाद टैंक नं. डुबकी (सेमी) स्टॉक (कुल मिलाकर) डी.यू. क्रम संख्या मीटर</u>

एमएस 1[20 कि.ग्रा.] 51.5 क्यू.एम 3953 लीटर 1 लीटर 2 लाइन 337886.2

गति 1[15 कि.ग्रा.] 13.0 सेमी 430 लीटर। 2. डुअल एल एंड टी 812679.7

एचएसडी 1(20 कि.ग्रा.] 68.0 क्यू.एम 5826 लीटर। 1. डुअल एल एंड टी 500774.8

1 एल एंड टी 2 लाइन 404103.4

एवरी 2-264778.6

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) मार्कर परीक्षण डीलर की उपस्थिति में किया जाता है। मार्कर कॉलम संख्या 04080433 का उपयोग पेपर सील से सील किए गए मार्कर परीक्षण के लिए किया जाता है और इसे संरक्षित किया जाता है। इसका उपयोग केवल एचएसडी नमूने के लिए किया जाता है।

(8) उपर्युक्त आरंभ की गई गतिविधियों की सूचना छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय समन्वयक, वरिष्ठ प्रबंधक क्यूसी, डब्ल्यूआर और क्षेत्र प्रबंधक भिलाई को दी गई।

(9) उत्पाद को नकद ज्ञापन संख्या 13005/दिनांक 09.02.07 के माध्यम से खरीदा गया है।

(10) एमएस/स्पीड/एचएसडी/लैब के नमूनों का एक सेट डीलर को सौंप दिया गया है।

(11) डीलर को सभी उत्पादों की बिक्री निलंबित करने की सलाह दी गई है और उपरोक्त को स्पष्ट किया गया है।

(12) ऊपर लिए गए नमूने डीलर को सौंप दिए गए और परीक्षण रिपोर्ट और नमूनों की प्राप्ति स्वीकार की गई।

(13) सील संख्या 596274**x**(3) प्रत्येक को एमएस/स्पीड और एचएसडी के डिकैंटिंग बिंदु पर लगाया गया था और डीलर ने डीयूएस नोजल पर सील लगाने से इनकार कर दिया है। इसलिए डीयू के नोजल पर सील नहीं लगाई गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. इसके बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी मोबाइल प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर, दूसरा परीक्षण गुणवत्ता नियंत्रण स्थिर प्रयोगशाला, बोरखेड़ी, नागपुर में 14-2-2007 को आयोजित किया गया था।

22. दोनों पक्षों द्वारा इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि दिनांक 14-2-2007 को स्टेशनरी लेबोरेटरी, बोरखेड़ी, नागपुर में परीक्षण में उपस्थित होने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था। रिपोर्ट उसी दिन तैयार की गई थी जिसमें परीक्षण रिपोर्ट में कुछ बदलाव थे।

23. दिनांक 14-2-2007 की परीक्षण रिपोर्ट (फोटोकॉपी के अनुसार) इस प्रकार है:

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)

गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, बोरखेड़ी, नागपुर

जाँच रिपोर्ट

हाई स्पीड डीजल (एचएसडी)-बीएस II

जारीकर्ता: टीएम (रिटेल) दिनांक: 15.02.07

परीक्षण रिपोर्ट क्रमांक:**BOR/MDG**/07/**F**186 नमूना लेने की तिथि (ग्राहक द्वारा): 09.02.07

नमूने का स्रोत: मेसर्स गगन फ्यूल्स, तोरवा, बिलासपुर नमूने प्राप्त होने की तिथि: 13.02.07

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नमूनों का विश्लेषण दिनांक: 14.02.07

नमूने का प्रकार: एमडीजी

स्थान क्षेत्र : भिलाई

पत्र संदर्भ एवं डीएल: बीटी/एमडीजी दिनांक 12.02.07

विशेषताएँ	आईएस :1448 की परीक्षण विधि (पी;)	आईएस-1450:2005 (नवीनतम संस्करण) के अनुसार आवश्यकताएँ	एसएल नाम एचपीसीएल मंदिर हसौद टैंक संख्या 15 और नमूना लेने की तिथि 07.02.07	टीएल नं.: सीजी10ए 3181 एवं नमूना लेने की तिथि: 07.02.07	आरओ टीके 1/डीयू-2
दिखावट:	तस्वीर		रंग	रंग	रंग
रंग, दृश्य	तस्वीर		पीला	पीला	पीला
घनत्व 15°C. kg/m^2	पी: 16	820-860			
.प्रयोगशाला में अवलोकन किया गया			832.7	832.1	833.7
निरीक्षण अधिकारी द्वारा देखा गया					834.1
(सुबह के समय घनत्व) पर रिकॉर्ड किया गया					833.4
आरओ में दर्ज किया गया (अंतिम प्राप्ति के बाद)					833.7

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आरओ (अंतिम रसीद से पहले) पर दर्ज किया गया					840.3
टीएल रसीद (आरओ में देखी गई)				832.3	
चालान				832.5	
आपूर्ति स्थान पर रिकॉर्ड किया गया			833.1		
आसवन, % v/v. प्राप्त:	पी.18				
350°C पर। न्यूनतम		85	89.0	90.0	
370 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम		95	96.0	97.5	
फ्लैश पॉइंट एबेल, °C	पी.20	35	40.5	38.5	40.5
40 डिग्री सेल्सियस पर गतिज श्यानता, cSt	पी.25	2-5	3.05	3.08	2.05
कुल सल्फर मिलीग्राम/किलो ग्राम, अधिकतम	आईपी: 336	500	428	412	1854

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मार्कर टेस्ट			एन(गुलाबी नहीं) रंग	एन(गुलाबी नहीं) रंग	पी(गुलाबी) रंग

टिप्पणी:

1. संबंधित आपूर्ति स्थान (एसएल) नमूना आईएस: 1460:2005 (नवीनतम संस्करण) के अनुसार किए गए परीक्षणों के संबंध में एचएसडी (बीएस **II**) की आवश्यकताओं को पूरा करता है, आपूर्ति स्थान (एसएल) नमूना मार्कर परीक्षण के संबंध में सफल होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संबंधित टैंक लॉरी रिटेन्ड (टीएल) नमूना आईएस: 1460:2005 (नवीनतम संस्करण) के अनुसार किए गए परीक्षणों के संबंध में एचएसडी (बीएस **II**) की आवश्यकता को पूरा करता है, टैंक लॉरी रिटेन्ड (टीएल) नमूना मार्कर परीक्षण के संबंध में उत्तीर्ण होता है।

3. रिटेल आउटलेट (आरओ) सैंपल द्वारा दर्शाए गए उत्पाद में आईएस: 1460:2005 (नवीनतम संस्करण) के अनुसार सल्फर के संबंध में एचएसडी (बीएस **II**) की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफलता पाई गई है। रिटेल आउटलेट (आरओ) सैंपल मार्कर परीक्षण में भी विफल रहा है।

24. उत्तरवादीगण ने दिनांक 14-2-2007 की दूसरी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की है, जैसा कि दिनांक 17-3-2007 के कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक आर-1/एल) से स्पष्ट है। उक्त कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित अनियमितताएं इस प्रकार हैं:

III) अनियमितताएं वर्तमान अनियमितताएं

ए. दिनांक 9.02.07 को उद्योग मोबाइल प्रयोगशाला दल द्वारा किए गए अचानक निरीक्षण के दौरान, खुदरा आउटलेट से एचएसडी का नमूना लिया गया और उसका परीक्षण किया गया। परीक्षण करने पर पाया गया कि एचएसडी मार्कर परीक्षण में विफल रहा और टैंक लॉरी नमूने की तुलना में गतिकी श्यानता में व्यापक भिन्नता देखी गई। इसलिए, एमएस, एचएसडी, स्पीड और स्नेहक के नमूने प्रक्रिया के अनुसार लिए गए और अधिकृत स्थायी प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजे गए। अधिकृत प्रयोगशाला ने खुदरा आउटलेट से लिए गए एचएसडी नमूने का परीक्षण करने पर पाया कि

1. संबंधित आपूर्ति स्थान (एसएल) का नमूना एचएसडी (बीएस **II**) की आवश्यकताओं को पूरा करता है और मार्कर परीक्षण के संबंध में भी सफल होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संबंधित टैंक लॉरी नमूना (टीएल) एचएसडी (बीएस **II**) की आवश्यकताओं को पूरा करता है और मार्कर परीक्षण के संबंध में भी सफल होता है।

3. रिटेल आउटलेट (आरओ) के नमूनों द्वारा दर्शाए गए उत्पाद, सल्फर के संबंध में एचएसडी (बीएस **II**) की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है और मार्कर परीक्षण के संबंध में भी विफल रहता है।

परीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।

25. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम सुपर हाईवे सर्विसेज और अन्य (2010) 3 **SCC** 321 के मामले में, डीलरशिप की समाप्ति पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"31. किसी पक्ष के डीलरशिप समझौते को रद्द करना एक गंभीर मामला है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे समझौते को समाप्त करने के लिए की गई कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए, संबंधित प्राधिकारी को निष्पक्ष रूप से और उक्त उद्देश्य के लिए बनाए गए नियमों/दिशानिर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए कार्य करना होगा। डीलरशिप समझौते को समाप्त करने से पहले पीड़ित व्यक्ति को नोटिस न देना इस सुस्थापित सिद्धांत का भी उल्लंघन है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का यह कर्तव्य था कि वह यह सुनिश्चित करे कि उत्तरवादी संख्या 1 को सुनवाई का अवसर दिया जाए या

कम से कम उसके समझौते को समाप्त करने से पहले उसे कार्यवाही का नोटिस देने के गंभीर प्रयास किए जाएं।

"33. निगम द्वारा अपनाए जा रहे दिशानिर्देशों के अनुसार, डीलर को परीक्षण के संबंध में पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ताकि परीक्षण के समय वह या उसका प्रतिनिधि उपस्थित हो सके। यह आवश्यकता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और डीलरशिप समझौते को समाप्त करने के मामले में निष्पक्षता की आवश्यकता के अनुरूप है और इसे मात्र औपचारिकता नहीं बनाया जा सकता। डीलर को पर्याप्त समय पहले सूचना दी जानी चाहिए ताकि उसे परीक्षण के दौरान अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का पर्याप्त समय और अवसर मिल सके और डीलर को सूचना दिए जाने के प्रमाण मौजूद होने चाहिए। उपरोक्त आवश्यकता का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है, क्योंकि डीलर की जानकारी के बिना परीक्षण किए जाने पर इसमें हेराफेरी की संभावना रहती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. अतः, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार, आरओ के डीलर को पूर्व सूचना दी जानी चाहिए परीक्षा के संबंध में सूचना ताकि परीक्षा के समय वह या उनका प्रतिनिधि भी उपस्थित हो सके।

27. इस मामले में, अंतिम निष्कर्ष नागपुर के बोरखेड़ी स्थित स्टेशनरी प्रयोगशाला में दिनांक 14-2-2007 को किए गए परीक्षण के आधार पर निकाला गया, जिसके

लिए डीलर को किसी भी स्तर पर कोई सूचना नहीं दी गई और परीक्षण डीलर की जानकारी के बिना किया गया। अतः, यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जब उत्तरवादी निगम द्वारा डीलरशिप समझौते को समाप्त करने का गंभीर निर्णय लिया गया, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया।

28. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्वोक्त) मामले में यह पाया गया कि परीक्षण के समय उत्तरवादी को उपस्थित रहने के लिए कोई सूचना नहीं दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि डीलरशिप समझौते की समाप्ति मनमानी, अवैध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. इस न्यायालय ने महामाया सर्विस सेंटर बनाम इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य के मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की:

"26. राज्य के अधिकारियों और राज्य के संस्थानों का यह कर्तव्य है कि वे नियमों और विनियमों में निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करें। इनका उल्लंघन अनुमेय नहीं किया जा सकता। यह निर्विवाद कानूनी स्थिति है कि जहां कोई कानून किसी कार्य को किसी निश्चित तरीके से करने का निर्देश देता है, तो वह कार्य उसी तरीके से किया जाना चाहिए, अन्यथा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए।

30. इस मामले में यह पाया गया कि उचित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए याचिकाकर्ता को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था, जो आगे की कार्यवाही के लिए आधारशिला थी। इसके बाद, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और परिणामस्वरूप समझौता समाप्त कर दिया गया।

31. वर्तमान मामले के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए और उपरोक्त उल्लिखित कारणों से, दिनांक 30-8-2007 का आक्षेपित डीलरशिप समझौता समाप्ति आदेश (रिट याचिका सिविल क्रमांक 5997/2007 में अनुलग्नक पी/1) रद्द किया जाता है। तदनुसार, याचिकाकर्ता सभी परिणामी लाभों का हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. परिणामस्वरूप, रिट याचिका सिविल क्रमांक 5997/2007 को स्वीकार किया जाता है।

33. रिट याचिका सिविल क्रमांक 5997 वर्ष 2007 में पारित आदेश के मद्देनजर, जिसके द्वारा 30-8-2007 के डीलरशिप समझौते की समाप्ति का आदेश रद्द कर दिया गया था, डब्लू.पी. (सी) संख्या 3396 ऑफ 2009 में निर्णय के लिए कुछ भी शेष नहीं है।

34. तदनुसार, रिट याचिका क्रमांक 3396 वर्ष 2009 का निपटारा रिट याचिका क्रमांक 5997 वर्ष 2007 में पारित आदेश के अनुसार किया जाता है।

35. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-

सतीश कुमार अग्निहोत्री

न्यायाधीष

<u>अस्वीकरणः</u> हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By- Yogita Naik, Advocate